

कार्गतिग सुरक्षा अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल-cfoundn.pkfs@gmail.com,

पत्रांक: क्रमांक-2027/न-3/एफओएम/ऑनलाइन/2024

दिनांक जून 19, 2024

स्वामी/प्रबन्धक

मै0 संस्कृति इंटरनेशनल एकेडमी(गोपाल एजुकेशन सोसाइटी)

शान्तिपुरी-02 किव्हा

उधमसिंहनगर।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0-62175338 दिनांक 15-06-2024 के मै0 संस्कृति इंटरनेशनल एकेडमी(गोपाल एजुकेशन सोसाइटी) शान्तिपुरी-02 किव्हा उधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर की निरीक्षण आख्या के अनुसार स्थापित अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्दिष्ट किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र नये रिफ्रे को जमा करना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 महीने में भवन रक्षण पत्रिका में अग्निशमन व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-मोम्पना पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः मै0 संस्कृति इंटरनेशनल एकेडमी (गोपाल एजुकेशन सोसाइटी) शान्तिपुरी-02 किव्हा उधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 19 जून 2024 से 18 जून 2027 तक का आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटवैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की रक्षण का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निलोचक रूप से सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की रक्षण, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेजिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के भवन/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 विद्युत तारों/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाय, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर सीमा दावे हेतु संसृति नहीं की जाएगी।
- 7 संस्थान में लगी जाने वाली विद्युत व्यवस्था एम0सी0वी0 तथा ई0एल0सी0वी0 पर आधारित होगी।



(ईशांत कटारिया)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
उधमसिंहनगर